



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा निर्माण करते अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 05.11.2020 को थाना बिसवां की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध पटाखा निर्माण करते हुए सालिया पत्नी इस्तियाक नि०मो० महाराजागंज कस्बा व थाना बिसवां जिला सीतापुर को मो० महाराजागंज से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से 2 बोरियों में अलग-2 निर्मित गोला (पटाखा) क्रमशः 995 अदद व 588 अदद व निर्मित तीली पटाखा 700 अदद व निर्मित सुतली तैयार सुदा एक कि०ग्रा० व अर्द्ध निर्मित फुलझड़ी 100 अदद व एक पन्नी में हीलन 300 ग्राम बारूद एक पन्नी में 200 ग्राम व एक पन्नी में डीला 600 ग्राम व एक पन्ने में कोयला 1.990 ग्राम बरामद हुए हैं। उक्त संबंध में थाना बिसवां पर मु०अ०सं० 565/20 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर पंजीकृत कर अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 565/20 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर

अभियुक्ता का नाम व पता- सालिया पत्नी इस्तियाक नि०मो० महाराजागंज कस्बा व थाना बिसवां जिला सीतापुर

बरामदगी विवरण-2 बोरियों में अलग-2 निर्मित गोला (पटाखा) क्रमशः 995 अदद व 588 अदद व निर्मित तीली पटाखा 700 अदद व निर्मित सुतली तैयार सुदा एक कि०ग्रा० व अर्द्ध निर्मित फुलझड़ी 100 अदद व एक पन्नी में हीलन 300 ग्राम बारूद एक पन्नी में 200 ग्राम व एक पन्नी में डीला 600 ग्राम व एक पन्ने में कोयला 1.990 ग्राम

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना बिसवां

1. उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
2. का० अमित बालियान
3. का० रत्नेश कुमार
4. म०का० मोनिका

